पत्रांक-सिं०को०-118/06-पार्ट IV 407
बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/ सिवान/ सहरसा/ दरभंगा/ गया/ बिहारशरीफ/ औरंगाबाद/ डिहरी/ भागलपुर ।

पटना, दिनांक- 1.7.19

विषय:- खरीफ सिंचाई अनुदेश 2019

महाशय,

खरीफ सिंचाई अभियान 2019 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से जल प्रबंधन कर खरीफ सिंचाई में वृद्धि हेतु समुचित उपयोग करना आवश्यक है ।

1. इस वर्ष विभाग की वृहद् सिंचाई परियोजनाओं से 21.30 लाख हेक्टयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई

2. का लक्ष्य रखा गया है । खरीफ सिंचाई 2019 के लिए मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है । खरीफ के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते है:-

(I) नहरों में सिंचाई के लिये उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर विभागीय समन्वय द्वारा खरीफ सिंचाई 2019 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरुप सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

(II) खरीफ सिंचाई 2019 के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने स्तर पर पूर्व की भॉति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगें तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए यह सुनिश्चत करेगें कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रात: 9.00 बजे एवं साप्ताहिक सिंचाई उपलब्धि प्रतिवेदन (साप्ताहांत शुक्रवार) विहित प्रपत्र में नियमित रूप से सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल को प्राप्त हो जाय ।

(III) खरीफ सिंचाई 2019 के लिए निर्धारित लक्ष्य को मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों के बीच प्रमंडलवार/जिलावार वितरित करेगें तथा इसकी सूचना विभाग, संबंधित जिला पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी एवं कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण को भी देगें ।

(IV) नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक यो०मो०-4 कार्य 10-1400/2001-220, दिनांक-12-4-2004 एवं सिंचाई कोषांग के पत्रांक सिं०को० 36/04-290 दिनांक 17-5-2004 के द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियंता, मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेगें । जहॉ तातील प्रथा लागू नहीं है एवं जहॉ मनमाना अधिक पानी की शिकायतें है, वहॉ विशेष ध्यान देगें तथा जहॉ पानी की कमी है वहॉ तातील प्रथा लागू कर पानी छोडने की व्यवस्था करेगें ।

(v) संबंधित कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण करेगें ताकि नहरों के अन्तिम छोर के किसानों को कोई कठिनाई न हो एवं विभाग को अनावश्यक आलोचना का कारण न बनना पडे । अतः सभी संबंधित कार्यपालक अभियंताओ को निदेशित किया जाता है कि स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करेगें ।

(vi) अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, नहरों/वितरणियों/उपवितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से प्रबोधन करेगें एवं इसका प्रतिवेदन सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करायेगें ।

(vii) शीर्ष/त्रियक नियामक एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता स्तर पर की जायेगी । जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेगें तथा की गयी कार्रवाई की सूचना अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला परिषद् को उपलब्ध करायेगें ।

(viii) सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा एवं अनुमंडल का ग्रामीण नक्शे पर अंकित कमांड मैप होना चाहिये। कनीय अभियंता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेगें तथा इसका भी लेखा रखेगें कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई । सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेगें तथा सुझाव के साथ प्रस्ताव देगें ।

(ix) उपलब्ध पानी में कमी के कारण, इसके सही एवं समान वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेगें ।

(2) खरीफ सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है ।प्रत्येक पदाधिकारी जो सिंचाई कार्य में संलग्न है, उनका प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि/सूदकार हो । जिनके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सूदकार होगा वे प्रशस्ति पत्र के अधिकारी होगें तथा जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के लक्ष्य से कम उपलब्धि/सूदकार होगा उनकी चारित्री मे प्रतिकूल अभियुक्ति दर्ज की जायेगी ।

अनु०- खरीफ सिंचाई लक्ष्य 2019

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः- सिं०को०-118/06-पार्ट IV 407 पटना, दिनांकः- 1.7.19

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ आयुक्त, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार/ कृषि विकास आयुक्त/ सभी अध्यक्ष कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०:- खरीफ सिंचाई लक्ष्य-2019

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- सिं०को०-118/06-पार्ट IV 407 पटना, दिनांक- 1.7.19

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
खरीफ सिंचाई 2019 का निर्धारित लक्ष्य

(आंकड़ा हे० में)

मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र	नहर प्रणाली	सी०सी०ए०	खरीफ 2019 हेतु प्रभावी सी०सी०ए०	विगत वर्ष 2018 का लक्ष्य	विगत वर्ष 2018 की उपलब्धि	वर्तमान वर्ष 2019 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य	वर्तमान वर्ष 2019 का विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	प्रतिशत लक्ष्य (प्रभावी सी.सी. के विरुद्ध)	अभ्युक्ति
डिहरी	सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	483401	483401	376490	360373	369670	378754	78.35	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	59017	59017	50998	50599	50599	50599	85.74	
	मध्यम सिंचाई योजना	72941	70955	53415	55640	53440	53440	75.32	
	कुल	**615359**	**613373**	**480903**	**466612**	**473709**	**482793**	78.71	
नालंदा	मध्यम सिंचाई योजना	**151483**	**151483**	**120973**	**115630**	**131331**	**132034**	87.16	
गया	मध्यम सिंचाई योजना	57797	54678	36122	35802	40272	40272	73.65	Total CCA not developed
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	24208	3595	3580	3580	3580	3580	99.58	
	कुल	**82005**	**58273**	**39702**	**39382**	**43852**	**43852**	75.25	
औरंगावाद	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	73586	63474	56639	55623	52399	56639	89.23	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	54227	54227	47355	47355	47355	47355	87.33	
	पटना मुख्य नहर	77601	77601	74656	74656	74656	74656	96.20	
	मध्यम सिंचाई योजना	16156	12246	10283	6623	7905	10067	82.21	
	कुल	**221570**	**207548**	**188933**	**184257**	**182315**	**188717**	90.93	
सहरसा	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	594730	594730	427687	420676	417162	432095	72.65	
दरभंगा	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	203300	110977	57489	58055	57217	57912	52.18	Canals under construction and total CCA not developed.
	कमला सिंचाई योजना (त्रिशुला, किंग्स केनाल एवं मुनहरा सिंचाई सहित)	36606	36068	24543	24390	25101	26026	72.16	
	कुल	**239906**	**147045**	**82032**	**82445**	**82318**	**83938**	57.08	
मोतीहारी	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	571665	480665	359905	347351	342743	363607	75.65	Total CCA not developed
सिवान	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	366577	326000	220615	215315	218450	221763	68.03	
	कुल(गंडक परियोजना):-	**938242**	**806665**	**580520**	**562666**	**561193**	**585370**	72.57	
भागलपुर	चंदन जलाशय योजना	69312	69312	58014	52379	55829	56124	80.97	
	बदुआ जलाशय योजना	36664	36664	36039	36154	36219	36219	98.79	
	अन्य योजना (मध्यम सिंचाई यो० सहित)	116025	95258	93236	83257	89291	89059	93.49	
	कुल(भागलपुर परिक्षेत्र):-	**222001**	**201234**	**187289**	**171790**	**181339**	**181402**	**90.14**	
	कुलयोग	**3065296**	**2780351**	**2108039**	**2043458**	**2073219**	**2130201**	**76.62**	